कार्यालय कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा(छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/ 529 /भू-अर्जन/2019 दन्तेवाड़ा, दिनांकः 10/05/2019

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन तथा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार(सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के नियम 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील-कुआकोण्डा जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा अंतर्गत प्रस्तावित सिंचाई जलाशय निर्माण क्षेत्रफल 5.22 हेक्ट. से प्रभावित ग्राम-नकुलनार ग्राम पंचायत-नकुलनार अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता हैः--

क्र.	सामाजिक समाघात अध्ययन दल में सम्मिलित व्यक्ति का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	अध्यक्ष/ सदस्य
1	श्री संतोष कुमार ध्रुव, विषयवस्तु (विशेषज्ञवानिकी), कृषि विज्ञान केन्द्र दन्तेवाड़ा	अध्यक्ष
2	श्री नंदलाल मुड़ामी, सदस्य, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा	सदस्य
3	श्रीमती मासे मुचाकी, सदस्य, जनपद पंचायत कुआकोण्डा	सदस्य
4	श्री थॉमस जोसेफ, कार्यपालन अभियंता, (लो.नि.वि.भ/स.), दन्तेवाड़ा	सदस्य
5	श्री के.पी. साहू, उप अभियंता, जलसंसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा	सदस्य
6	तहसीलदार, कुआकोण्डा	सदस्य

अधिनियम की धारा 4 की धारा (4) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत अन्य मामलों के अतिरिक्त निम्नानुसार विषय आयेंगे-

1. इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है;
2. प्रभावित कुटुबों का और उनमें से उन कुटुबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है;
3. ऐसी सार्वजनिक और प्राईवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है;
4. इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है;
5. इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है;
6. परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्चों तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन परंतु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ-साथ किया जाएगा और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा;
7. उस समाघात का अध्ययन जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुबों की जीविका, लोक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना विशिष्टतया सड़कों, लोक परिवहन, जलनिकास संकर्म, स्वच्छता,

पेयजल के स्त्रोत, उचित कीमत दुकान, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधएं, विद्यालय और शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाएं और कब्रस्थान तथा शमशान घाट पर पड़ने की संभावना है।

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल को उपयुक्त अधिनियम, 2013 एवं नियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अध्यधीन अध्ययन कर नियम, 2016 संलग्न प्ररुप-दो में प्रभावित व्यक्तियों की लिखित सहमति एवं प्ररुप-तीन में सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन समयसीमा में इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

9/5/19

(टोपेश्वर वर्मा)
कलेक्टर
जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक/530/भू-अर्जन/2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक10/05/2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
4. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, जिला नजारत शाखा की ओर पत्र अग्रेषित कर लेख है कि कृपया जिला कार्यालय के सूचना पटल पर इस अधिसूचना का प्रकाशन करावें।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, दन्तेवाड़ा को भेजकर लेख है कि छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा के वेबसाईट में उक्त अधिसूचना को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार, कुआकोण्डा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-कुआकोण्डा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत-नकुलनार की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रकाशित करवाएं एवं प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करें।
10. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(टोपेश्वर वर्मा)
कलेक्टर
जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग